भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2764

(दिनांक 15.12.2021 को उत्तर के लिए)

अधिक भुगतान की वसूली

2764. श्री पी.आर. नटराजन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नियोजकों द्वारा किए गए अधिक भुगतान की वसूली पंजाब राज्य तथा अन्य इत्यादि बनाम रफीक मसीह के मामले में सीए संख्या 11527 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार कानून में अननुमत्य है; और

(ख) यदि हां, तो उन परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत कानून के अनुसार नियोजकों द्वारा वसूली की अनुमति नहीं है;

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) एवं (ख) : जी, नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2014 के सीए सं. 11527 (2012 की एसएलपी(सी) सं. 11684 से उत्पन्न) में पंजाब राज्य व अन्य बनाम रफीक मसीह (सफेदी करने वाला) आदि के मामले में दिनांक 18.12.2014 के अपने निर्णय में यह टिप्पणी की थी कि ऐसी सभी कठिन परिस्थितियों की परिकल्पना कर पाना संभव नहीं है, जो वसूली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों पर लागू हों, जहां नियोक्ता द्वारा गलती से उनकी पात्रताओं से अधिक भुगतान कर दिया गया हो। हालांकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित कुछ पिरस्थितियों को संक्षेप में बताया है, जहां नियोक्ताओं द्वारा वसूलियां, कानून के अधीन अनुचित होंगी :

(i) श्रेणी-III और श्रेणी-IV सेवा (अथवा समूह 'ग' और समूह 'घ' सेवा) से संबंधित कर्मचारियों से वसूली।

(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अथवा ऐसे कर्मचारी से वसूली जो, वसूली के आदेश के एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

(iii) ऐसे कर्मचारियों से वसूली जहां वसूली के आदेश के जारी किए जाने के पहले पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है।

(iv) ऐसे मामलों में वसूली, जिसमें किसी कर्मचारी से अनुचित ढंग से किसी उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की गई तथा उसके अनुसार उसे भुगतान किया गया हो, जबकि उसे किसी निचले पद पर कार्य करना उचित रूप से अपेक्षित था।

(v) किसी अन्य मामले में, जहां न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि किसी कर्मचारी से वसूली की गई तो वह ऐसी सीमा तक अन्यायपूर्ण अथवा कठोर या मनमानी होगी, जिस सीमा तक यह नियोक्ता के वसूली करने के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन को बिगाड़ती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के आलोक में, इस मामले में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.03.2016 के का.ज्ञा.सं. 18/03/2015-स्था.(वेतन-I) (संलग्न) के तहत अनुदेश जारी किए गए थे।

******

फा.सं. 18/03/2015-स्था.(वेतन-I)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 02 मार्च, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- **सरकारी कर्मचारियों को गलत तरीके से/अतिरिक्त भुगतान की वसूली।**

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 6 फरवरी, 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/26/2011-स्था.(वेतन-I) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट विधि विशेषकर चंडी प्रसाद उनियाल एवं अन्य बनाम उत्तराखंड सरकार एवं अन्य 2012 एआईआर एससीडब्ल्यू 4742 (2012) 8 एससीसी 417 के मद्देनजर सरकारी कर्मचारी को गलत तरीके से/ज्यादा दिए गए भुगतान की वसूली से संबंधित मुद्दों को निपटाने के विषय में कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3(iv) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि केवल अत्यधिक कठिनाई वाले कुछ आपवादिक मामलों को छोड़कर अधिक भुगतान किए गए सभी मामलों में वसूली की जाएगी।

2. यह मुद्दा 2014 के सीए सं. 11527 (2012 की एसएलपी(सी) सं. 11684 से उत्पन्न) में पंजाब राज्य व अन्य बनाम रफीक मसीह (सफेदी करने वाला) आदि के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने विचार के लिए आया है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 18.12.2014 को अनेक मामलों में निर्णय दिया जहां संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली परिलब्धियों के निर्धारण में की गई अनाभिप्रेत गलती के कारण कर्मचारियों को उनकी हकदारी से अधिक आर्थिक लाभ दिया गया था और कर्मचारी गलत सूचना देने/तोड़ मरोड़ कर सूचना देने/धोखाधड़ी के दोषी नहीं था जिससे संबंधित सक्षम प्राधिकारी को कर्मचारियों को अधिक भुगतान करने में गलती हुई है। परिलब्धियों के गलत और अधिक निर्धारण में कर्मचारी उतने ही निर्दोष हैं जितने उनके नियोक्ता माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें कही हैं :

> "7. इस न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों की जांच करने के बाद हमारा यह मत है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को गलत रूप से दिए गए आर्थिक लाभों के भुगतान की वसूली हेतु पारित आदेश में केवल उसी स्थिति में हस्तक्षेप किया जा सकता है जहां ऐसी वसूली से इस प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो, जो नियोक्ता की वसूली के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन को बिगाड़ती हो। अन्य शब्दों में, हस्तक्षेप केवल उन्हीं मामलों में किया जाएगा जहां किए गए भुगतान को वसूलना अन्यायपूर्ण हो। उपर्युक्त मतों के मापदंडों को अभिनिश्चित करने के उद्देश्य से और लागू किए जाने वाले परीक्षणों हेतु ऐसी स्थितियों का संदर्भ देना अपेक्षित होगा जब इस न्यायालय ने भारत के संविधान की धारा 142 के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग तक करते हुए कर्मचारियों को ऐसी वसूलियों से मुक्त कर दिया था। 'किसी मामले में पूरा इंसाफ करने के लिए' शक्तियों के बार-बार प्रयोग से यह स्थापित होगा कि,

की गई वसूली अन्यायपूर्ण है और अतः मनमानीपूर्ण है। अतः हस्तक्षेप करना इस न्यायालय के हाथ में है।"

"10. उपर्युक्त संवैधानिक अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, इस देश के लोगों की आजीविका के संबंध में सभी सरकारी कार्यों का आधार समता और सद्भावना होना चाहिए। किसी कर्मचारी से वसूली का आदेश देने वाले राज्य का कोई कार्य उस सीमा तक उचित होगा जिस सीमा तक यह इस संबंध में अन्यायपूर्ण न हो नियोक्ता के राशि की वसूली के अधिकार की तुलना में यह अधिक अनुचित, अधिक गलत, अधिक अनुपयुक्त तथा अधिक अवांछित न हो। दूसरे शब्दों में, ऐसे समय तक जब तक वसूली का कर्मचारी पर अप्रिय व मनमाना प्रभाव नहीं पड़ता है, यह विधि द्वारा अनुमन्य होगा। उपरोक्त परिस्थितियों में बार-बार दिए गए आदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अन्तर्गत इस न्यायालय में निहित शक्तियों के अनुपालन में भी वसूली के किसी कार्य के दायरे के मानदंड को व्यक्त करेंगे (किसी कर्मचारी को अधिक भुगतान के संबंध में) जो इस देश के नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्वों को भंग करेगा, तथा यह कार्य मनमानापूर्ण होगा तथा इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए अधिदेश का उल्लंघन करेगा।"

3. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जाने वाला मुद्दा यह था कि सभी प्राइवेट प्रतिवादी जिनके खिलाफ वसूली का कोई आदेश (राशि की अधिकता का) जारी किया गया है, उन्हें विधि में नियोक्ता को उक्त राशि की वसूली से मुक्त रखा जाना चाहिए। मौजूदा आदेश की अप्रयोज्यता के लिए और तत्पश्चात उनके द्वारा रिकार्ड किए गए निष्कर्ष, निर्णय के अनुच्छेद 2 व 3 में वर्णित घटक आवश्यक रूप से अपरिहार्य हैं।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय ने, यह अवलोकन करते हुए कि कठिनाइयों की उन सभी परिस्थितियों के बारे में पूर्व धारणा बनाना संभव नहीं है जो वसूली के मुद्दे पर कर्मचारियों का नियमन करेगी, जहां नियोक्ता द्वारा त्रुटिवश उनके अधिकार से अधिक भुगतान कर दिया गया है, निम्नलिखित कुछ परिस्थितियों का सार प्रस्तुत किया है जहां नियोक्ता द्वारा वसूली विधि द्वारा अनुमन्य नहीं होगी:-

(i) श्रेणी-III और श्रेणी-IV सेवा (अथवा समूह 'ग' और समूह 'घ' सेवा) से संबंधित कर्मचारियों से वसूली।

(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अथवा ऐसे कर्मचारी से वसूली जो, वसूली के आदेश के एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

(iii) ऐसे कर्मचारियों से वसूली जहां वसूली के आदेश के जारी किए जाने के पहले पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है।

(iv) ऐसे मामलों में वसूली, जिसमें किसी कर्मचारी से अनुचित ढंग से किसी उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की गई तथा उसके अनुसार उसे भुगतान किया गया हो, जबकि उसे किसी निचले पद पर कार्य करना उचित रूप से अपेक्षित था।

(v) किसी अन्य मामले में, जहां न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि किसी कर्मचारी से वसूली गई तो वह ऐसी सीमा तक अन्यायपूर्ण अथवा कठोर या मनमानी होगी, जिस सीमा तक यह नियोक्ता के वसूली करने के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन को बिगाड़ती है।

5. परिणामस्वरूप मामले का व्यय विभाग तथा विधिक कार्य विभाग के साथ परामर्श कर परीक्षण किया गया। मंत्रालयों/विभागों को सरकारी कर्मचारियों को त्रुटिपूर्ण/अधिक भुगतान किए जाने के मुद्दे से माननीय उच्चतम न्यायालय के 2014 के सीए सं. 11527 (पंजाब राज्य व अन्य बनाम रफीक मसीह (सफेदी करने

वाला) के मामले में 2012 की विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 11684 से उत्पन्न होने वाले) को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। हांलाकि जब भी ऊपर उल्लिखित स्थिति में वसूली माफ करने के बारे में विचार किया जाए तो दिनांक 6 फरवरी, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18/26/2011-स्था (वेतन-I) के व्यय विभाग के स्प्ष्ट अनुमोदन से इस संबंध में अनुमति दी जाए।

6. जहां तक भारतीय लेखा एवं परीक्षा और लेखा सेवा में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, यह आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा अधिकारी की सहमति से जारी किये जाते हैं।

(ए.के. जैन)
उप सचिव, भारत सरकार

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. एनआईसी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध सहित के इस कार्यालय ज्ञापन को विभाग की बेवसाइट पर ओएम ऐंड आर्डस (इस्टैब्लिशेट-पे) रूल्स तथा 'नया क्या है' के तहत अपलोड करें

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव
3. महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय
4. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/ राज्य सभा सचिवालय/ मंत्रिमंडल सचिवालय/केंद्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री सचिवालय/नीति आयोग
5. भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें
6. कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (एआईएस अनुभाग)/जेसीए/प्रशा. प्रभाग
7. सचिव, जेसीएम (स्टाफ साइट) की राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज़ शाह रोड, नई दिल्ली
8. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद् के स्टाफ साइड के सभी सदस्य
9. सभी अधिकारी/कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग प्रभाग/प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग/ पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग/पीईएसबी
10. संयुक्त सचिव (पर्समिन), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
11. अपर सचिव (केंद्र शासित प्रदेश), गृह मंत्रालय